

SUDANA

# ***CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA (INDORE)***

**UNIT OF INDORE SAHKARI DUGDH SANGH.MYDT  
INDORE (M.P)**

**E-TENDER  
FOR**

## ***Transportation of Cattle Feed***

**DATED: 01.01.2020**

**CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA, DISTT.INDORE  
(M.P)**

**Phones : (0731) 2806221, 2806350**

**Fax no. 0731 - 2806221**

**E-mail :- sudana\_manglia@rediffmail.com,**

**sudana.manglia@gmail.com**

पशु आहार संयंत्र मागलिया  
इकाई इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

—: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :—

सुदाना परिवहन

S.No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	11.12.19/11:00
2	Purchase of Tender End Date	31.12.19/11:00
3	Bid Submission End Date	31.12.19/11:00
4	Technical Bid Open Date	01.01.20/12:00

निविदा खोलने का स्थान

:- पशु आहार संयंत्र मागलिया इन्दौर (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र की कीमत

:- रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र)  
क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग द्वारा क्रय  
किये जावे जो वापसी योग्य नहीं।

अमानत राशि

:- रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र)  
ऑनलाइन जमा कराना आवश्यक है।

प्रतिभूति राशि

:- अनुमोदित निविदाकार को रुपये 200000/-  
(रुपये दो लाख मात्र)  
अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो **INDORE  
SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT.  
CATTLE FEED FACTORY PAYABLE AT  
INDORE** के पक्ष में देय हो संलग्न करना  
अनिवार्य है।

ANNEXURE- I

:- निविदाकार का विवरण


ANNEXURE-II

:- निविदा शर्तें

नोट :-पशु आहार, परिवहन की दरें [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ई-निविदा के माध्यम से आनलाईन ही  
स्वीकार होगी।

प्रभारी महाप्रबंधक

( रिक्तियों पूर्ण कर अपलोड कराने हेतु )



- (1) ठेकेदार का नाम : \_\_\_\_\_
- (2) कार्यालय का पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- (3) दूरभाष नम्बर : \_\_\_\_\_
- (4) मोबाईल नम्बर : \_\_\_\_\_
- (5) PAN No. : \_\_\_\_\_
- (6) GST No. : \_\_\_\_\_

ऑन लाईन अमानत राशि का विवरण राशि..... ट्रांजेक्सन आईडी .....

परिवहनकर्ता ठेकेदार का हस्ताक्षर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर  
इकाई : पशु आहार संयंत्र मांगलिया जिला इन्दौर

—: पशु आहार परिवहन की शर्तें :-

1. पशु आहार परिवहन निविदा की दरें ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन स्वीकार होगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जाये। पशु आहार संयंत्र मांगलिया से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें कर सहित प्रस्तुत की जाएं।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें 'रूपया प्रति मै. टन' (One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होंगी।
4. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र मांगलिया के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा एवं परिवहन निविदाकर्ता को रु.1000/- का स्टाम्प पेपर पर यह अनुबंध एवं शर्तें स्वयं के खर्च से प्रस्तुत करना होगा। साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 09:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहता है, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेंगे।
5. यदि विशेष परिस्थितियों में शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर तत्काल पशु आहार भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समिति पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र मांगलिया के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समिति में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
7. यदि परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है तो उसकी सूचना तत्काल संयंत्र कार्यालय में देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समिति तक पहुंच जाएगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।
8. परिवहनकर्ता के वाहन का RTO से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस, परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है।
9. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा है उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बॉडी) अच्छी हालत में होना चाहिये। पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।
10. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रों के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबाबदारी परिवहनकर्ता की होगी इस हेतु प्रभारी दुग्धशीत केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक है। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।
12. परिवहन के दौरान मार्ग में पशु आहार सुदाना, कॉफ स्टार्टर/मिनरल मिक्सचर में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जायेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जाएगी।

13. यदि ठेकेदार लगातार तीन बार परिवहन कार्य आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. दुग्ध शीत केन्द्रों से पशु आहार, की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य पशु आहार की मात्रा कम/ज्यादा हो सकती हैं।
15. परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु प्रति सप्ताह अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों में जिसमें क्रमांक, दिनांक, पता आदि स्पष्ट उल्लेखित हो, माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
16. परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तों पर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी एवं अगला ठेका न होने की परिस्थिति में तीन माह की वृद्धि करना प्रबंध के अधिकार क्षेत्र में होगा।
17. परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संयंत्र की जान-माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
18. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण अध्यक्ष, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा।
19. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
20. अनुबंध पत्र (इकरार नामा) निष्पादित करने के पूर्व संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा प्रतिभूति राशि (सिक्कुरिटी डिपॉजिट) के मद में रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) का डीडी INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MYDT. CATTLE FEED FACTORY PAYABLE AT INDORE के नाम से जमा करना आवश्यक होगा।
21. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) ऑनलाइन जमा करना होगा। अमानत राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
22. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को संलग्न शर्तों के तहत अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसमें प्रतिभूति राशि रूपये 2,00,000/-होगी। जिसमें से रूपये 50000/- अमानत राशि समायोजित कर शेष रूपये 150000/- संस्था में डीडी द्वारा जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
23. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।
24. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म "भारतीय भागीदार अधिनियम" के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
25. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
26. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 16 मै.टन एवं 22 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रु0 लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

**क्रमांक**

**वाहन का प्रकार**

**औसत प्रति लीटर**

- इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।
27. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
  28. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुंचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा। निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर परिवहनकर्ता के देयको से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधारपर कटौती किया जावेगा।
  29. परिवहनकर्ता के देयकों से शासन के नियमानुसार आयकर, तथा समय-समय पर लगने वाले अन्य करों आदि का कटौती किया जावेगा।
  30. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के ट्रेक्टर-ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।
  31. अपने मार्ग के अधीनस्थ किसी भी निकटवर्ती 4 समितियों की सामूहिक पूर्ण ट्रक क्षमता मांग प्राप्त होने पर संबंधित समितियों पर पशु आहार पहुंचाकर पहुंच (पावती रसीद) संघ कार्यालय में तीन दिवस के अन्दर जमा करना होगी।
  32. उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जावेगा।
  33. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता जबाबदार होगा।
  34. समस्त अदालती विवाद इन्दौर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**  
**इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर**